Form no 111

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

उनवान – राजकुमार आदि बनाम सन्तोष आदि रामकुमार आदि

धारा – 251 (ए) आर.टी.ए. मुकदमा नं0. 93 /2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
14.5.2018	यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.ए. (विविध) वकील प्रार्थी के द्वारा पेष किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्राथीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। कर पत्रावली दिनांक:– 16/5/2018 को पैष हो। [signature]	
16-5-18	आज यह पत्रावली मय लोक अदालत कैम्प गोड़ावाली के पेश हुई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हाजिर आकर राजीनामा पेश किया जो शामिल है। [signature] सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	राजकुमार सरस्वती देवी I by me [signature] 16.5.2018 अधिवक्ता प्रार्थीगण [illegible] [illegible] Devdutt बलदेव [illegible] वेदप्रकाश I by me [signature] 16.5.18 अधिवक्ता अप्रार्थीगण (आर.प्रताप सिंह(एड.))

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

आज यह पत्रावली राजस्व अभियान कैम्प में पेश हुई। प्रकरण मे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 ने राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। राजीनामा में प्रार्थीगण की पहचान श्री राजेश कुमार छीम्पा एडवोकेट व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की पहचान श्री भानुप्रताप सिंह एडवोकेट ने की। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता ने मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 50 एनजीसी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 170/155 जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में रास्ते के उपयोग के लिए आवागमन हेतु चक 50 एनजीसी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 170/155 जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के पत्थर नंबर 125/254 (44) के किला नंबर 15/0.253 है0 में से 0.106 हैक्टेयर में तथा पत्थर नंबर 126/254 (45) के किला नंबर 11 की 0.038 हैक्टेयर में से 0.014 हैक्टेयर भूमि में (किला नंबर 15 के चिपते हुए) रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि गैरमुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तथा चक 50 एनजीसी के उक्त खाता संख्या 170/155 में अप्रार्थी संख्या 1 लाधूराम जैन के नाम दर्ज 67 हिस्सा अर्थात् 0.848 हैक्टेयर में गैरमुमकिन रास्ते की भूमि 0.120 हैक्टेयर को कम करते हुए शेष 0.728 हैक्टेयर लाधूराम जैन वगैरा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा चक 50 एनजीसी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 170/155 जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में पत्थर नंबर 125/254 (44) के किला नंबर 16 में प्रार्थीगण के नाम दर्ज 0.202 हैक्टेयर अर्थात् 16 बिस्वा में से 8 बिस्वा भूमि पश्चिमी सिरे पर उत्तर से दक्षिण रास्ते की एवज में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 प्रत्येक को 2–2 बिस्वा अर्थात् अप्रार्थीगण 1, 2 व 4 (लाधूराम, देवदत्त, औमविष्णु) प्रत्येक को पृथक पृथक 0.025 है0 तथा अप्रार्थी संख्या 3 बलदेव को 0.026 है0 रास्ते की एवज में दिये जाने तथा उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में पृथक–पृथक हिस्सा अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 50 एनजीसी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 170/155 जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में प्रार्थीया संख्या 2 के नाम दर्ज 14

हिस्सा अर्थात् 0.177 हैक्टेयर में से रास्ते की एवज में गई भूमि 8 बिस्वा अर्थात् 0.101 हैक्टेयर कम करते हुए शेष 0.076 हैक्टेयर प्रार्थीया संख्या 2 के नाम दर्ज करने तथा चक 50 एनजीसी तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 170/155 जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में पत्थर नंबर 126/254 (45) के किला नंबर 11 में 0.139 हैक्टेयर व किला नंबर 20 में 0.253 हैक्टैयर तादादी 0.392 हैक्टेयर तथा पत्थर नंबर 125/254 (44) के किला नंबर 16/0.202 हैक्टेयर के स्थान पर 0.101 हैक्टेयर कुल 0.493 हैक्टेयर अर्थात् 1 बीघा 19 बिस्वा प्रार्थीगण के नाम खाता अलग रखते हुए उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16.5.18 को लिखा जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner